

## बैक पेपर परीक्षा - नियम एवं शर्तें

1. स्नातक के छात्र/छात्राओं हेतु सत्र 2018-19 में एक विषय के अधिकतम एक प्रश्नपत्र तथा परास्नातक कक्षाओं के छात्र/छात्राओं हेतु केवल एक प्रश्नपत्र में ही बैक पेपर परीक्षा देने की अनुमति अनुमन्य है तथा बैक पेपर परीक्षा में प्राप्त होने वाले अंक ही अनुमन्य होंगे। मुख्य परीक्षा के प्राप्त अंक मान्य नहीं होंगे।
2. इसी प्रकार श्रेणी सुधार हेतु बैक पेपर परीक्षा देने वाले छात्र/छात्राओं के वही अंक मान्य होंगे जो उसे श्रेणी सुधारने हेतु बैक पेपर परीक्षा में प्राप्त होंगे। मुख्य परीक्षा के प्राप्त अंक मान्य नहीं होंगे।
3. बैक पेपर परीक्षा हेतु आनलाइन आवेदन करने वाले छात्र यदि बैक पेपर परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाते तो ऐसे परीक्षार्थियों के पूर्व प्राप्तोंक ही मान्य होंगे।
4. (क) स्नातक स्तर के परीक्षार्थियों के न्यूनतम अंक लिखित परीक्षा में 33 प्रतिशत, परास्नातक में न्यूनतम 36 प्रतिशत होना चाहिये कुल प्राप्तोंक योग में प्रायोगिक परीक्षा के प्राप्तोंकों की गणना नहीं होगी परन्तु परास्नातक में निर्धारित प्रतिशत में 10 अंको की छूट केवल बैक पेपर परीक्षा के लिए होगी। परास्नातक के ऐसे छात्र अगली उच्च कक्षा में प्रवेश के लिए अर्ह नहीं होंगे।  
(ख) स्नातक के वे छात्र जो नियमानुसार दो विषय में पास होंगे और एक विषय में अनुत्तीर्ण होंगे परन्तु लिखित योगांक प्रायोगिक अंक छोड़कर 33 प्रतिशत होंगे तभी वे सत्र 2018-19 में एक विषय के अधिकतम एक प्रश्नपत्र में बैक पेपर परीक्षा के लिए अर्ह होंगे।  
(ग) स्नातक स्तर पर बैक पेपर परीक्षा हेतु अर्ह छात्र/छात्रायें अगली उच्च कक्षा में अस्थायी रूप से प्रवेश ले सकेंगे। उन्हें अस्थायी रूप से अगली उच्च कक्षा में प्रवेश इस प्रतिबन्ध के साथ प्राप्त होगा कि यदि वे बैक पेपर परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो उनका उच्च कक्षा में अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।
5. मुख्य परीक्षा के उपरान्त बैक पेपर में सम्मिलित होने की सुविधा हेतु केवल एक ही अवसर अनुमन्य होगा।
6. उक्त प्राविधानों के अन्तर्गत छात्र/छात्रा छूटी मौखिक परीक्षा देने के अधिकारी नहीं होंगे।
7. किसी भी कक्षा के वे छात्र जो लिखित मुख्य परीक्षा में अनुपस्थित होंगे और उनकी परीक्षा का प्राप्तोंक स्नातक स्तर पर 33 प्रतिशत एवं परास्नातक में 36 प्रतिशत है तो उन्हें भी बैक पेपर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति होगी।

उक्त प्राविधानों के अनुसार स्नातक स्तर पर जो परीक्षार्थी मात्र एक विषय में अनुत्तीर्ण है। परन्तु उसका लिखित प्रश्नपत्रों का कुल प्राप्तोंक 33 प्रतिशत है तो वह सत्र 2018-19 में अनुत्तीर्ण विषय के अधिकतम एक प्रश्नपत्र में बैक पेपर परीक्षा हेतु अर्ह है। इसी प्रकार परास्नातक परीक्षा में लिखित प्रश्नपत्रों का कुल प्राप्तोंक 36 प्रतिशत अथवा लिखित प्रश्नपत्रों के पूर्णांक के 36 प्रतिशत से 10 अंको के कम होने पर ही बैक पेपर की सुविधा अनुमन्य होगी परन्तु वे अगली कक्षा में प्रवेश/परीक्षा हेतु अर्ह नहीं होंगे।